उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-47/2019/1087/बावन-1-2019-समर्पण व्यय 2017-18
लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2019

<u>आदेश-संशोधन</u>

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-41/2019/1007/बावन-1-2019-समर्पण व्यय 2017-18 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के प्रस्तर-2 में सारिणी के क्र0सं0-1 व 2 पर क्रमश: जनपद-बागपत के कोताना बांगर तथा बलरामपुर के तहसील-तुलसीपुर में 02 छात्रावास सहित राजकीय पालिटेक्निक में फर्नीचर उपकरण एवं मशीनरी के क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है तथा त्रुटिवश आवंटित धनराशि को कार्यदायी संस्था **व्यावसायिक शिक्षा** को हस्तगत की जानी है**,** अंकित हो गया है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के प्रस्तर-2 में इंगित सारिणी के क्रम संख्या-1 व 2 के स्तम्भ-4 में अंकित **"व्यावसायिक शिक्षा"** के स्थान पर **"प्राविधिक शिक्षा"** पढ़ा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उक्त शासनादेश संख्या-41/2019/1007/बावन-1-2019-समर्पण व्यय 2017-18 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगे।

(हरी राम)
उप सचिव।

<u>संख्या-1087(1)/बावन-1-2019-तद्दिनांक ।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव को इस आशय से कि अपने से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में यथाआवश्यक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

UO Gautam

http://shasanadesh.up.gov.in

9- प्रबन्ध निदेशक, **सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in